



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

पत्रांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02- / 2020

दिनांक 10.07.2020

सूचना

उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, वर्धा कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के कारण सावंगी मेघे, पिपरी मेघे, उमरी मेघे, सिंदी मेघे, बोरगाव, मसाळा, सातोडा, नालवाडी, नटाळा को दिनांक 10.07.2020 से 13.07.2020 तक सील किया गया है।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय दिनांक 13.07.2020 तक बंद रहेगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 13.07.2020 (सोमवार) तक घर से ही कार्य करेंगे। दिनांक 10.07.2020 से 13.07.2020 तक विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों के सभी द्वार बंद रहेंगे।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी की जा रही है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
कार्यकारी कुलसचिव

10/07/2020

प्रति,

1. संबंधित समस्त कर्मि
2. कुलपति कार्यालय
3. स्थापना एवं प्रशासन
4. सामान्य प्रशासन
5. सुरक्षा अधिकारी
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट।